



EAST COAST RAILWAY

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Principal Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापनाक्रमांक/ Estt. Srl. No.46/2019
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/Medical

RBE No. 27/2019
Date: 05.03.2019

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु:कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Promotion of X-Ray attendant and other staff to the post of Radiographer (L-5) GP. Rs.2800/-.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं. E(NG)I-2016/PM10/2 दिनांक 19.02.2019 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है। -

A copy of the Board's Lr. No.- E(NG)I-2016/PM10/2 dated 19.02.2019 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,


(Souvik Saha)
Asth. Personnel Officer(Bills)
For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(ओ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(स्टाफ), वकाधि(मुख्या. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(बिल),

333
24/02/19

RB/ESTT.No. 27/2019

10

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

CS/2
D. Len - Fe
CPO (K)
JLO
26/2

No.E(NG)I-2016/PM10/2

New Delhi, dated 19.02.2019

EGR


The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units
(As per standard list)

Sub:- Promotion of X-Ray Attendant and other staff to the post of Radiographer (L-5) GP Rs.2800 .

Pursuant to the recommendations of Atomic Energy Regulatory Board (AERB), the minimum educational qualification to fill up the post of Radiographers in PB-1 Rs.5200-20200 GP Rs.2800 (L-5) against 50% promotion quota from amongst serving Railway employees was, revised from Matriculation with Physics and Chemistry & possessing Diploma in X-Ray Technician's Course from a recognized Institute to 10+2 or equivalent examination passed with Science subject from a recognized Board and Radiographers/X-Ray Technologist course of minimum one year duration (including in field training in diagnostic radiology) vide Board's letter No.E(NG)I-2003/PM10/4 dated 02.12.2011.

2. NFIR, in its agenda Item No.51/2016, have raised a demand in the PNM Meeting that possibility may be explored to impart training to existing staff who do not possess the requisite qualifications presently for further promotion, to make them eligible for consideration for such further promotion subject to fulfillment of all other eligibility conditions.
3. The matter has accordingly been considered in consultation with the Health and Finance Directorates of Railway Board. It has been decided that X-Ray Attendants recruited with pre-revised qualification may be encouraged/granted study leave to acquire the requisite qualification from a recognised institution either through distance learning or by joining a course of study on regular basis. On acquiring of such qualification they will be eligible for consideration for promotion as per their turn, otherwise eligible. The Zonal Railways accordingly may consider request of employees in question favourably for grant of study leave as per the extant rules.

Please acknowledge receipt.


(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2016/पीएम10/2

नई दिल्ली, दिनांक 19.02.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)


विषय:- एक्स-रे अटेंडन्ट और अन्य कर्मचारियों की रेडियोग्राफर (एल-5) जीपी रु.2800 के पद पर पदोन्नति।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की सिफारिशों के अनुसार, सेवारत रेलवे कर्मचारियों में से 50% पदोन्नति कोटा के तहत पीबी-1 रु.5200-20200 जीपी रु.2800 (एल-5) में रेडियोग्राफर के पद को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को बोर्ड के दिनांक 02.12.2011 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2003/पीएम10/4 के तहत भौतिकी और रसायन विज्ञान में मैट्रिक परीक्षा एवं मान्यताप्राप्त संस्थान से एक्स-रे टेकनीशियन का कोर्स किया हो, से संशोधित करके 10+2 अथवा मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय से समकक्ष परीक्षा पास की हो और न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का रेडियोग्राफर/एक्स-रे टैकनोलजिस्ट का कोर्स किया हो (जिसमें नैदानिक रेडियोलोजी में फील्ड प्रशिक्षण शामिल हो), किया गया था।

2. एनएफआईआर, ने अपनी कार्यसूची मद सं. 51/2016 में पीएनएम बैठक में मांग उठाई है कि मौजूदा स्टाफ, जिनके पास वर्तमान में अगली पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता नहीं है, को प्रशिक्षण देने की संभावनाओं का पता लगाया जाए ताकि उन्हें अगली पदोन्नति के विचारार्थ अर्हक बनाया जा सके, बशर्ते वे पात्रता संबंधी अन्य सभी शर्तें पूरी करते हों।

3. तदनुसार, इस मामले पर रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य और वित्त निदेशालयों के परामर्श से विचार किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि एक्स-रे अटेंडन्ट, जिन्हें संशोधन पूर्व अर्हता पर भर्ती किया गया था, को मान्यताप्राप्त संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा अथवा नियमित रूप से अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल होकर अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए/अध्ययन अवकाश दिया जाए। ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर, वे अपनी बारी के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे। तदनुसार, क्षेत्रीय रेलें मौजूदा नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए कर्मचारियों के अनुरोध पर विचार करें।

कृपया पावती दें।


(एम.के. मीना)

उप निदेशक स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड